न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम— रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर — 38/2016

सादुल सिंह आयु 50 वर्ष पुत्र अड़ीसाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बागड़ोदा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

वादी

बनाम

1. अचरज कंवर पुत्री गुलाब सिंह
2. ओमसिंह पुत्र समदर सिंह
3. कमल कंवर पत्नी स्व. गणेश सिंह
4. गोविन्द सिंह अड़ीसाल सिंह
5. पवन सिंह पुत्र समदर सिंह
6. बजरंग सिंह पुत्र समदर सिंह
7. शुभ कंवर पत्नी ओमसिंह
8. सुप्यार कंवर पत्नी स्व. गुलाब सिंह
9. सीस कंवर पुत्री गुलाब सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बागड़ोदा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

10. तहसीलदार फतेहपुर
11. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बेसवा

——प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

दावा बाबत बंटवारा

उपस्थित अधिवक्ता
श्री रिड़मल सिंह — वादी
श्रीमती कंचन खीचड़— प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर

निर्णय

दिनांकः—17.06.2019

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बागड़ोदा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 8.8500 है0 में से 1/10 हिस्से का खातेदार काबिज काश्तकार वादी है जिसका खाता वादी के नाम बना हुआ है।

वादी ग्राम बागड़ोदा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 8.8500 है0 में से 1/10 हिस्से की कृषि भूमि का कानूनी रूप विभाजन दिनांक 01.07.2019 से करवाना चाहता है इसलिये वादी द्वारा विभाजन हेतु दावा पेश किया जा रहा है

आराजी खसरा नम्बर 263 में से वादी के 1/10 हिस्से की कृषि भूमि का खाता कब्जा व लगान बटटा नम्बर डालकर अलग अलग किया जाने से प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से हानि नहीं होगी इसलिये न्याय हित में वादी के 1/10 हिस्से की कृषि भूमि का कानूनी रूप से विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

वाद बंटवारा तहसील फतेहपुर के ग्राम बागड़ोदा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 8.8500है0 कृषि भूमि में से वादी के 1/10 हिस्से की कृषि भूमि का खाता कब्जा व लगान बटटा नम्बर डालकर अलग अलग कायम फरमाया जावे।

मिसल मुर्तिव की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ता 11 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 3, 4 की ओर से श्रीमती कंचन खीचड़ एड0 ने वकालतनामा पेश किया व प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दावा ग्राम बागड़ोदा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 8.8500है0 कृषि भूमि में से वादी के 1/10 हिस्से की कृषि भूमि का खाता कब्जा व लगान बटटा नम्बर डालकर अलग कायम किये जाने से मुझ प्रतिवादी को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

Web Copy - Not Official

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बागड़ोदा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 8.8500है0 कृषि भूमि में मुझ प्रतिवादी संख्या 3 कमल कंवर का 1/5 हिस्से की कृषि भूमि की रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है जिसका खाता मुझ प्रतिवादी के नाम बन चुका है।

ग्राम बागड़ोदा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 8.8500 है0 वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के सह खातेदारी की भूमि है जिसका खाता सम्मिलित रूप से बना हुआ है उक्त कृषि भूमि का आज तक पक्षकारान के मध्य कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 3 अपने 1/5 हिस्से का बंटवारा हेतु काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर रही है।

प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर वाद स्वीकार किया जाकर बाद बंटवारा तहसील फतेहपुर के ग्राम बागड़ोदा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 8.8500है0 कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 के उक्त आराजी में से 1/5 हिस्से की कृषि भूमि का खाता कब्जा व लगान बटटा नम्बर डालकर अलग अलग कायम फरमाया जावे।

वादी प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का जवाब पेश नहीं किया व प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार हेतु निवेदन किया है। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, फतेहपुर को विभाजन प्रस्ताव हेतु भिजवायी गयी। तहसीलदार, फतेहपुर से जरिये पत्रांक 989 दिनांक 10.06.19 के विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वकलाय फरीकेन की बहस सुनी गयी।

अतः वाद वादी व प्रतिवादी संख्या 3 का काउन्टर वाद डिक्री किया जाकर ग्राम गड़ोदा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 8.8500है0 का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदारान	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	कमल कंवर पत्नी गणेश सिंह जाति राजपूत सा. देह	263/1 263/2	1.67है. 0.10है.	बा.2 बा.2	11.69 0.70
		किता 2	1.77है0	बा.2	12.39
2	सादुल सिंह पुत्र अड़ीसाल सिंह जाति राजपूत सा. देह	263/3	0.8850है0	बा.2	6.195
3	ओमसिंह पुत्र समदर सिंह हि. 1/6 राहिन हि. 1/15 बीआरकेजीबी बेसवा, पवन सिंह पुत्र समदर सिंह हि. 1/15 राहिन हि. 1/15 बीआरकेजीबी बेसवा, बजरंग सिंह पुत्र समदर सिंह हि. 1/6 राहिन हि. 1/15 बीआरकेजीबी बेसवा, अचरज कंवर पुत्री गुलाब सिंह हि. 1/25, गोविन्द सिंह अड़ीसाल सिंह हि. 1/10, शुभ कंवर पत्नी ओमसिंहहि. 506/4425, सुप्यार कंवर पत्नी स्व. गुलाब सिंह हि. 1/177, सीस कंवर पुत्री गुलाब सिंह हि. 1/25 जाति राजपूत सा. देह	263/4	6.195है0	बा.2	43.363

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। रहन खातेदारन बदस्तुर रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

Web Copy - Not Official

(रेनू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)